

न्यायालय - भूमि सुधार उप-समाहर्ता, खूँटी

दा० खा० अपील वाद सं०- 98/2019-20



चन्द्रावती देवी पति श्री बालमुकुन्द कुमार कश्यप  
ग्राम-गायत्री नगर, डहुगुट्ट, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी।

- अपीलकर्ता

बनाम

अंचल अधिकारी, खूँटी।

- विपक्षी

| आदेश का क्रम सं० एवं तारीख | आदेश  | की गई कार्रवाई |               |                |           |                |          |          |    |     |      |  |
|----------------------------|---|----------------|---------------|----------------|-----------|----------------|----------|----------|----|-----|------|--|
| 17.02.20                   | <p>अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।</p> <p>आवेदक ने वर्तमान वाद दा० खा० वाद सं०-1309R27/18-19 में अंचल अधिकारी, खूँटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.03.19 के विरुद्ध अपील दाखिल किया है जो निम्नवर्णित भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित है:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>मौजा</th> <th>थाना/थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>प्लॉट नं०</th> <th>रकबा(एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>डहुगुट्ट</td> <td>खूँटी 89</td> <td>33</td> <td>136</td> <td>0.19</td> </tr> </tbody> </table> <p>अपीलकर्ता के अपील आवेदन एवं अंचल अधिकारी, खूँटी के आदेश की अभिप्रमाणित प्रति को देखा एवं अपील संस्थित करने वी सुनवाई का प्रयाप्त आधार पाते हुये उक्त दा० खा० अपील वाद में अंगीकार किया गया। आवेदक कथन करते है कि मौजा-डहुगुट्ट, थाना-खूँटी के उक्त भूमि जिसकी कुल रकबा 0.19 एकड़ है जिसे रघु महतो पिता स्व० कृष्णा महतो ग्राम-डहुगुट्ट, थाना-खूँटी से विक्रय पट्टा सं० 1009/972 दिनांक 31.07.17 से भूमि खरीदी गयी है। आवेदक द्वारा उक्त भूमि का नामांतरण हेतु अंचल कार्यालय, खूँटी में आवेदन दाखिल किया जिसका वाद सं० 1309R27/18-19 पड़ा।</p> <p>अंचल अधिकारी, खूँटी के प्रतिवेदन अनुसार आवेदित उक्त प्लॉट में पंजी-2 में दर्ज नहीं होने के कारण नामांतरण अस्वीकृत की गयी है।</p> <p>अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान बताया कि खतियान एवं रसीद दिया गया है। खाता सं० 33 का रसीद अंचल द्वारा निर्गत किया गया परन्तु उक्त रसीद में खेसरा संख्या अंकित नहीं किया गया है। अंत में अधिवक्ता के द्वारा खेसरा संख्या अंकित करते हुए दाखिल खारिज करने हेतु अंचल अधिकारी, खूँटी को निर्देश देने हेतु प्रार्थना करते है।</p> <p>अधिवक्ता के बहस को सुना एवं दाखिल किये गये कागजातों का अवलोकन करने के पश्चात् आवेदक को निर्देश दिया जाता है कि उक्त खेसरा का इंद्राज कराने हेतु अंचल अधिकारी, खूँटी को आवेदन दे। अंचल अधिकारी, खूँटी को <b>Remand</b> करते हुए निर्देश दिया जाता है कि आवेदक से खेसरा दर्ज करने हेतु आवेदन प्राप्त करते हुए पंजी-2 में खेसरा दर्ज करने के पश्चात् दाखिल खारिज हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जाय।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p><br/>भूमि सुधार उप समाहर्ता,<br/>खूँटी।</p> <p><br/>भूमि सुधार उप समाहर्ता,<br/>खूँटी।</p> | मौजा           | थाना/थाना नं० | खाता नं०       | प्लॉट नं० | रकबा(एकड़ में) | डहुगुट्ट | खूँटी 89 | 33 | 136 | 0.19 |  |
| मौजा                       | थाना/थाना नं०   | खाता नं०       | प्लॉट नं०     | रकबा(एकड़ में) |           |                |          |          |    |     |      |  |
| डहुगुट्ट                   | खूँटी 89  | 33             | 136           | 0.19           |           |                |          |          |    |     |      |  |